न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस
प्रकरण संख्या–आदेश 101/2016
पंजीयन दिनांक 22.10.2016
1.रामा पिता गांगा भील मृतक के बजाय–
1/1–नारायण पिता रामा भील नि.मान्दलदेह ।
1/2–लेहरूलाल पिता रामा भील नि.मान्दलदेह ।
1/3–परथू पिता रामा भील नि.देह
1/4–नंदलाल पिता रामा भील नि.मान्दलदेह ।
1/5–रतनी पत्नी भगवान पुत्री रामा भील नि.खारखन्दा ।
1/6–बाली पत्नी भोना पुत्री रामा भील नि.बसस्टेण्डके पास
थसंहपुर तहसील कपासन ।
2.भेरूलाल पिता छोगालाल भील नि.मान्दलदेह ।
3.नारू पिता छोगालाल भील ।
4.नंदू पिता छोगालाल भील सभी नि.मान्दलदेह तहसील
एवं जिला–चित्तौडगढ ।

–अपीलांट

विरूद्व

1.हजारी पिता पीथा भील ।
2.रतन पिता रामा भील ।
3.देवीबाई पुत्री रामा भील ।
4.देउ बेवा रामा भील ।
5.रतन पिता रामा भील ।
6.मांगीलाल पिता रामा भील ।
7.फुली पुत्री रामा भील ।
8.कस्तुर बेवा रामा भील ।
9.नंदा पिता हेमा भील सभी नि.मान्दलदेह चित्तौडगढ ।
10.नानी पुत्री हेमा भील(मृत)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर चित्तौडगढ
प्रकरण सख्या 7/2014 आदेश दिनांक 8.11.2016

उपस्थित–श्री छोगालाल जाट–अभि.अपीलांट
श्री सुरेशचन्द्रशर्मा–वकील रेस्पो–1

–0–

निर्णय दिनांक 4.2.2021

प्रकरण के तथ्य सक्षेपमें इस प्रकार है कि अधीनस्थ अपीली न्यायालय ने दिनांक 8.11.2016 को मौजा मांदलदेह तहसील चित्तौडगढ की आराजी नम्बर 374,

375,376,379,380,381,382,387 388,818,819,820, 914 कुल किता–13 रकबा 2.94 हैक्टेयरजिसमे रेस्पोडेन्ट का 1/4 व अपीलांट का 3/4 हक व हिस्सा निहित होकर मौके पर काबीज काश्त चले आ रहे हे अपीलांट संख्या 1 से 4 ने दिनांक 6.12.2010 को रेस्पोडेन्ट व अपीलांट से सम्पर्क कर प्रशासन गांव के सघ अभियान के अन्तर्गत शामलाती आराजीयात का आपसी सहमति से विभाजन की बात कह कर रेस्पोडेन्ट व अन्य अपीलांट अशिक्षित होने का नाजायात फायदा उठाकर उनसे छल कपट कर रेस्पोडेन्ट व अपीलांटगण की अगुठा निशानी करा छल पूर्वक कैम्प में उक्त आराजियात का सहमति से विभाजन कराया व तहसीलदार द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट नहीं ली व नामान्तकरण संख्या 288 दिनांक 6.12.2010 को दर्ज करवा लिया जिससे अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार चितौडगढ द्वारा आपसी सहमति सेबंटवाडा दिनांक 6.12.2010 निरस्त फरमाया जावें ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा सहमति से किये गये बंटवाडा दिनांक 6.12.2010 व नामान्तकरण संख्या 288 दिनांक 6.12.2010 को निरस्त कर मौके व हिस्से की भूमि के संबंध में समझाईस कर नये सिरे से बटंवाडा करने के निर्देश पारित किये ।

अधीनस्थ जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.11.2016 के आदेश से रूष्ट होकर अपीलांटगण से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ जिलाकलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.11.2016 को निरस्त कर बंटवाडा दिनांक 6.12.2010 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गयी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । बंटवाडा दिनांक 6.12.2010 की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी है जिसमे सभी पक्षों की अगुठा निशानी है कोई भी पक्ष साक्षर नहीं है व जो बंटवाडा प्रस्तुत किया गया है व बिना रिपोर्ट के तस्दीक किया गया है जिसको अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण को विचारण तहसीलदार चित्तौडगढ को रिमाण्ड करने में किसी भी प्रकार की अवैधानिकता होना नही पाया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर चित्तोडगढ

द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 8.11.2016 यथावत रखा जाता है व पक्षकारो को हिदायत दी जाती है कि यदि वह बंटवाडा चाहते हो तो वह तहसीलदार चित्तौडगढ के समक्ष उपस्थित होकर हक, हिस्से व कब्जे को ध्यान में रखते हुये विधि अनुसार भूमिधारी की सहमति से बंटवाडा करवाने के लिये स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 4.2.2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ